

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-M67/9-9-2011-203ज/12

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई, 2012

विषय: नागर निकायों में विद्युत के दुरुपयोग पर नियंत्रण ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश के नागर निकायों के कार्यालयों में विद्युत बल्ब तथा स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलती रहती है, जिससे जहाँ अकारण विद्युत का दुरुपयोग होता है वहाँ निकायों पर अनावयक रूप से विद्युत बिल का भार बढ़ता है ।

2- अतः उक्त पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत 05 वर्षों में समस्त नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों में बिजली की खपत तथा तत्सम्बन्धी बिलों के भुगतान का समेकित विवरण शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3- मुझे यह भी कहना है कि माह अगस्त, 2012 से नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों से सम्बन्धित बिजली के बिलों का उस समय तक भुगतान नहीं किया जायेगा जब तक नगर निगमों के सभी नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषदों के समस्त अधिसासी अधिकारी, लिखित रूप से इस आशय का आवश्यासन न दे दें कि उनके कार्यालयों में दिन में आकरण कोई बल्ब और निकाय क्षेत्र में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी तथा सड़कों पर जलने वाली लाइट शंत-प्रतिशत सुबह नियत समय पर ही बन्द कर दी जायेगी ।

यदि किसी नगर निगम/नगर पालिका परिषद के कार्यालय में विद्युत बल्ब या स्ट्रीट लाइट दिन में जलती हुयी पायी जाएगी तो वहाँ बिजली के बिलों का भुगतान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर सभी के वेतन से कराया जाएगा ।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,
ह0/-
(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनांक:तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 2- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 ।
- 3- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, व नगर पंचाय, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0)
- 4- बेब मास्टर नगर विकास विभाग को विभाग की बेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
- 5- गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

ह0/-

(श्री प्रकाश सिंह)

विशेष सचिव ।

स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0

8वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

संख्या-8/1648-०१०/2012-13

लखनऊ दिनांक २१ जुलाई, 2012

उपरोक्त शासनादेश की प्रति समस्त नगर आयुक्त नगर निगम, उ0प्र0 तथा समस्त नगर पालिका परिषदो एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वे शासनादेश में उल्लिखित दिशा निर्देशो के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से शासन/निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

2- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

Omprakash
(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक २१/८७/१२